अध्याय IV

नियमों एवं विनियमों का गैर-अनुपालन

4.1 प्रस्तावना

हमने अभिलेखों की परीक्षण जाँच में, सेनवेट क्रेडिट के गलत लाभ उठाने/ उपयोग के 35 मामले, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के गैर/ कम भुगतान और ब्याज के गैर भुगतान के ₹ 73.99 करेड़ के राजस्व वाले 35 मामले देखें। 6 मामले नीचे दर्शाये गए हैं और 29 मामले परिशिष्ट II में सूचीबद्ध हैं।

4.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क का गैर/ कम भुगतान

हमने 15 मामले देखे जहाँ शुल्क का भुगतान नहीं किया गया/कम किया गया था। मंत्रालय/विभाग ने सभी मामलों में अवलोकन को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ/की। 2 मामले नीचे दर्शाये गए है। शेष 13 मामलों का विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।

4.2.1 बेची गई/ हटाई गई/ रद्दी परिसम्पत्तियों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का गैर- भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 (सीसीआर) के नियम 3 (5ए) के अनुसार, यदि पूँजीगत माल कम्प्यूटर और कम्प्यूटर से जुड़ी चीजों के अलावा जिस पर सेनेवट क्रेडिट लिया गया है, उपयोग के बाद हटाया जाता है, आऊटपुट सेवाओं का निर्माता या प्रदाता, प्रतिशत बिन्दू से घटा हुआ, स्ट्रेट लाइन पद्धति द्वारा गणित प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के 2.5 प्रतिशत की दर पर, सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से उक्त पूँजीगत माल पर लिये गये सेनेवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा। यदि गणना की गई राशि संव्यवहार मूल्य पर करारोपित शुल्क से कम होगी तो भुगतेय राशि संव्यवहार मूल्य पर करारोपित राशि बराबर होगी। आगे, सीसीआर के नियम 3(5बी) के अनुसार, उपयोग से पूर्व इनपुट या पूँजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, लेखा बही में पूर्ण या आंशिक रूप से खारिज किये गए है या जहाँ पूर्ण या आंशिक रूप से खारिज किये जाने का प्रावधान है, तब निर्माता या सेवा

प्रदाता, जैसी भी स्थिति हो, उक्त इनपुट या पूँजीगत माल के संबंध में लिए गए सेनवेट क्रेडिट के समतुल्य राशि का भुगतान करेगा।

एलटीयू कमिश्नरी में मेसर्स बजाज ऑटो लि., केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 1985 के अध्याय शीर्ष 87 के तहत दो और तीन पहिया के निर्माता है। वित्तीय अधिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि बेची गई, नष्ट की गई, हटाई गई और रद्दी परिसम्पत्तियों की ओर 2010-12 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान, निर्धारिती ने अपने लाभ एवं हानि लेखे में ₹ 20.12 करोड़ ₹ 7.49 करोड़ और ₹ 7.04 करोड क्रमानुसार नामे किए।

तथापि, यह साबित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं रखे गए कि क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क यदि कोई है को, पूर्वोक्त प्रावधानों को देखते हुए इन परिसम्पत्तियों में शामिल निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया है। जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2013), विभाग ने (दिसम्बर 2015 और मार्च 2016) आपत्ति को स्वीकार करने के दौरान कहा कि 2010-11 से 2013-14 की अवधि वाला ₹ 47.24 लाख की राशि का एससीएन, और 2014-15 की अवधि के लिए ₹ 44.01 लाख की राशि का आवधिक एससीएन निर्धारिती को जारी किया गया है।

4.2.2 सहयोगी इकाई को बेचे गए माल पर शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल के निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 9 के परंतुक के साथ पठित नियम 8 गौर करता है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा नहीं जाता किंतु इसके इसके द्वारा खपत किया जाता है या अन्य सामग्री के निर्माता में निर्धारिती संबंधित व्यक्ति, ऐसे माल का निर्धारण योग्य मूल्य ऐसे माल के उत्पादन या निर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। विलम्बित भुगतान, यदि कोई हो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एए के अनुसार ब्याज भुगतेय है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुम्बई-I कमिश्नरी में मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. की महुल रिफाइनरी सीईटीए 1985 के अध्याय 27 के तहत आने वालेमाल के निर्माण में कार्यरत है। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के

दौरान अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि निर्धारिती ने ₹ 2,640.32 करोड़ की राशि का बेस ऑयल इसकी सहयोगी ईकाई जो कि ल्यूब प्लॉट बडीबंडर है को हस्तांतरित कर दिया। तथापि, निर्धारिती द्वारा उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए कोई भी लागत निर्धारण रिकॉर्ड नहीं रखे गए थे। निर्धारिती को सीएएस-4 के अनुसार उत्पादन लागत का निर्धारण करना था और तद्नुसार विभेदक शुल्क का भुगतान करना था। इस प्रकार, संबंधित इकाई को निकासी पर सही निर्धाणीय मूल्य का गैर-अंगीकरण के परिणामस्वरूप शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे ब्याज के साथ वसूला जाना था।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2013) विभाग ने सूचित किया (मार्च 2016) कि 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए ₹ 5.07 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 20.16 करोड़ के शुल्क की माँग करते हुए एससीएन जारी किया गया।

4.3 सेनवेट क्रेडिट

हमने निर्धारिती द्वारा सेनवेट क्रेडिट के गलत लाभ उठाने/ उपयोग के 17 मामले देखे। 3 मामले निम्न पैराग्राफ में दर्शाए गए हैं। शेष 14 मामलों का परिशिष्ट II में विवरण दिया गया है।

4.3.1 छूट प्राप्त इनपुट पर क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

अधिसूचना सं. 4/2006 सीई दिनांक मार्च 2006 जैसा कि संशोधित है के साथ पठित, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के टैरिफ मद 26.01 के अनुसार, लौह अयस्क पर शून्य शुल्क दर आरोपित है और अधिसूचना सं. 13/2001 के अनुसार, लौह अयस्क एवं लोह अयस्क कान्सेन्द्रेट एकीकृत स्टील प्लॉट के लिए समान है। अधिकरण ने यह भी माना कि खानो से लौह अयस्क की माइनिंग खानो से और तब क्रशिंग, ग्राइडिंग आदि की प्रक्रिया के अधीन विदेशी सामग्री और कॉन्सेन्ट्रेट को हटाने के लिए, के परिणामस्वरूप किसी भी वाणिज्यिक वस्तु का निर्माण नहीं होता। इस कारण से, लौह अयस्क कॉन्सेन्ट्रेट पर कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क आरोपित नहीं होता है।

आगे दिनांक 14 जनवरी 2011 परिपत्रसं. 940/01/2011 के अनुसार, बिना शर्त रूप से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त माल के संबंध में निर्माता शुल्क के भुगतान का चयन नहीं कर सकते और वे इनपुट पर प्रदत्त शुल्क के सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते।

जमशेदपुर कमिश्नरी के तहत मेसर्स शाह स्पंज एंड पावर लि और मेसर्स कोहिनूर स्टील प्राइवेट लि. ने 2011-12 और 2012-13 के दौरान लौह अयस्क पेलेट पर ₹ 3.71 करोड़ (₹ 42.48 लाख और ₹ 3.28 करोड़ क्रमानुसार) पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग किया। चूँकि लौह अयस्क पेलेट पर कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क आरोपित नहीं था, सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता अनियमित थी और निर्धारिती से ब्याज और दंड के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2013), विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2015) कि अप्रैल 2010 से जनवरी 2015 तक कि अवधि के लिए ₹ 11.15 करोड़ की राशि का एससीएन मेसर्स कोहिनूर स्टील प्राइवेट लि. जमशेदपुर को जारी किया गया था जबकि मेसर्स शाह स्पंज एंड पावर लि. को अन्य एससीएन जारी करना प्रक्रियाधीन था।

4.3.2 सेस के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित उपयोगिता

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(7)(बी), जैसा कि दिनांक 30 अप्रैल 2015 अधिसूचना सं. 12/20152 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन-टी) में संशोधित किया गया है, निर्धारित करता है कि मार्च 2015 के पहले दिन या उसके बाद शिक्षा उपकर का क्रेडिट और इनपुट पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, पूँजी अंतिम उतपाद के निर्माण के कारखाने में प्राप्त माल या इनपुट सेवाएँ का उपयोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में किया जा सकता है। अधिसुचना, उक्त तिथि से पूर्व लिये गए और उक्त दिनांक को उपलब्ध क्रेडिट के उपयोग की अनुमति नहीं देता।

बैंगलुरू-I कमिश्नरी में मेसर्स बॉश ऑटोमोटिव इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लि. बैंगलुरू केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 85 और 90 के तहत इलैक्ट्रिक और इलैक्ट्रिकल उपकरणों के

निर्माण में कार्यरत है। निर्धारिती के पास 1 मार्च 2015 तक शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के सेनवेट क्रेडिट के ₹ 104.71 लाख का अनुपयोगित शेष था, जिसे उक्त दिनाँक से पूर्व लिया गया था। निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट नियमों के उललंघन में जून 2015 से अगस्त 2015 तक की अवधि के दौरान शुल्क के भुगतान के लिए उक्त क्रेडिट का उपयोग किया।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2015) कमिश्नरी ने कहा (अप्रैल 2016) कि निर्धारिती ने ₹ 104.71 लाख के सेनवेट क्रेडिट को लौटा दिया और लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर ₹ 6.49 लाख के ब्याज का (दिसम्बर 2015) भुगतान किया।

4.3.3 नष्ट इनपुट पर सेनेवट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(के)(i) के अनुसार, इनपुट का अर्थ है अंतिम उत्पादों के निर्माण के संबंध में प्रयुक्त सभी माल चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और चाहे अंतिम उत्पाद में निहित हो या नहीं। आगे, उक्त नियमावली के नियम 3(5बी) (i) के अनुसार, यदि किसी की इनुपट का मूल्य जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, पूरी तरह खारिज किया गया है या जहाँ लेखा बही में पूर्ण रूप से खारिज किये जाने के लिए कोई प्रावधान किया गया है, तो निर्माता उक्त इनपुट के संबंध में लिए गए सेनवेट क्रेडिट की समतुय्य राशि का भुगतान करेगा।

विशाखापट्नम कमिश्नरी में मेसर्स बेरी एलॉए लि. बोबिली, जो सीईटीए-1985 के अध्याय 72 के तहत सिलिकॉन मैंगनीज़ के निर्माण में कार्यरत है, के वर्ष 2014-15 के लिए लाभ एवं हानि लेखे से यह देखा गया कि ₹ 227.31 लाख की कच्ची सामग्री इनपुट चक्रवात में नष्ट हो गई थी। तथापि, बीमा दावा की प्राप्ति के बाद भी इन इनपुटों पर लिये गये सेनवेट क्रेडिट को निर्धारिती ने वापस नहीं किया। पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार, निर्धारिती को इनपुट जो कि नष्ट को गए थे पर लिये गए ₹ 28.10 लाख के सेनवेट क्रेडिट को लौटाने की आवश्यकता थी।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2015) कमिश्नरी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया था और आवश्यक

दस्तावेजों की माँग की गई थी, ताकि नष्ट हुई बताई गयी कच्ची सामग्री के मूल्य का पता लगाया जाये।

4.4 ब्याज का गैर/कम भुगतान

हमने निर्धारितियों द्वारा ब्याज के गैर-भुगतान के तीन मामले देखे। एक मामला नीचे दर्शाया गया है। शेष 2 मामलों का विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

4.4.1 शुल्क के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का गैर-भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 8 के अनुसार, किसी माह के दौरान फैक्ट्री से हटाये गये माल पर शुल्क अगले महीने की 6 तारीख तक भुगतेय होगा और मार्च के दौरान हटाये गये माल पर शुल्क 31 मार्च तक भुगतेय होगा। आगे, नियम के नियम 8ए(3) अनुबंध करता है कि यदि नियत तारीख तक निर्धारिती शुल्क की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो, उसे बकाया राशि के वास्तविक भुगतान तक नियत तारीख के बाद पहले दिन से आरंभ अवधि के लिए बकाया राशि पर अधिनियम की धारा 11एए के तहत जारी अधिसूचना में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर बकाया राशि का भुगतान ब्याज के साथ करना होगा।

बेलापुर कमिश्नरी में, मेसर्स रेक्सम एचटीडब्ल्यू बेवरेज कैन (इंडिया) लि. ने मई 2014 के महीने में पूँजीगत माल का निपटान किया और मंजूरी दी जिस पर ₹ 4.21 करोड़ का केंद्रीय उत्पाद शुल्क भुगतेय था। तथापि, अभिलेखों के सत्यापन ने दर्शाया कि पूँजीगत माल (मई 2014) के निपटान के दौरान निर्धारिती ने केवल ₹ 1.14 करोड़ का भुगतान किया था और ₹ 2.80 करोड़ के शेष विभेदक शुल्क को सेनवेट रजिस्टर (दिसम्बर 2014) में नामे किया। इसके परिणामस्वरूप शुल्क का विलम्बित भुगतान हुआ जिस पर ₹ 27.85 लाख के ब्याज की वसूली की जानी थी।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2015), विभाग ने पैरा स्वीकार (जून 2015) किया और कहा कि निर्धारिती ने मार्च 2015 में ₹ 27.85 लाख के ब्याज का भुगतान किया था।